अपराह्न 4.05 बजे

विदाई उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, 24 जुलाई, 2000 को आरम्भ हुए तेरहवीं लोक सभा का चौथा सत्र आज समाप्त हो रहा है। इस अवधि में कुल मिलाकर 145 घंटों की 22 बैठकें हुई।

इस सत्र के दौरान लोक सभा ने वित्तीय, विधायी तथा अन्य कार्यों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। वर्ष 2000-2001 हेतु अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) एवं (रेलवे) और वर्ष 1997-98 हेतु अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को लोक सभा की स्वीकृति दी गई। लोक सभा द्वारा तीन राज्यों से संबंधित पुनर्गठन विधेयकों जिसमें विद्यमान राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में से तीन नए राज्यों का गठन किया गया, सहित 20 विधेयक पारित किए गए।

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2000 से वाहनों के इंजनों में अनियंत्रित बदलाव करने से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने और केबल दूरदर्शन नेटवर्क विनियमन (संशोधन) विधेयक 2000 से सभी चैनलों के लिए कार्यक्रम और प्रसारण कोड का प्रावधान करने वाले विधेयकों को पारित किया गया। दो संविधान (संशोधन) विधेयक, छयासीवां संविधान संशोधन विधेयक 1999 और अट्ठासीवां संविधान (संशोधन) विधेयक 1999 लोक सभा द्वारा पारित किये गए। पहले संशोधन विधेयक से अरुणाचल प्रदेश को संविधान से संबंधित उस प्रावधान से छूट मिली जो अनुसूचित जातियों हेतु पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित थी और दूसरे संविधान संशोधन विधेयक से केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन सेवाओं अथवा पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को पदोन्नति में रियायत प्रदान की जाएगी।

सभा में नियम 193 के अधीन लोक महत्व के चार महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। यह है: स्वायत्ता हेतु जम्मू और कश्मीर विधान सभा द्वारा पारित संकल्प, देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के कारण जान और माल की हानि, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में विनिवेश और देश में भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। नियम 184 के अधीन जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के यात्रियों सहित निर्दोष लोगों की हत्या और इस मामले की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश के नेतृत्व में एक जांच आयोग गठित करने से संबंधित अन्य मामले पर चर्चा की गई।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदस्यों द्वारा दो महत्वपूर्ण मामले उठाए गए जिनके उत्तर में संबंधित मंत्रियों द्वारा वक्तव्य दिये गये। यह पटसन उगाने वाले किसानों द्वारा झेली जा रही समस्याओं और विदेशी विनिमय बाजार में रुपए के गिरते मूल्य से उत्पन्न स्थिति से संबंधित थे। इसके अलावा मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 14 अन्य वक्तव्य दिये।

प्रश्न काल में 460 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किये गये जिनमें से मौखिक रूप से 65 प्रश्नों का ही उत्तर दिया जा सका जबकि 5142 अतारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया गया। इसके अलावा 2 अल्प सूचना प्रश्न भी थे।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के संबंध में 45 गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुर:स्थापित हुए और जिनमें से दो पर चर्चा की गई। दो सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर भी चर्चा की गई। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 163 मामले उठाए जबकि शून्य काल के दौरान 349 लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय उठाए गए।

इस सत्र में विभाग से सम्बद्ध स्थायी समितियों के 36 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। सूचीबद्ध कार्य को पूरा करने के लिए लोक सभा कई दिनों तक देर रात्रि तक बैठी। सभा के सभी वर्गों से प्राप्त हुए सम्पूर्ण समर्थन और सहयोगभावना से ही यह सब सम्भव हो पाया है।

मैं सभा के प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देता हूँ। मैं सभा के नेता, विपक्ष के नेता, विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं तथा मुख्य सचेतकों और सचेतकों का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने सभा के कार्य को सम्पन्न करने के लिए मुझे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय तथा सभापति तालिका में शामिल मेरे साथियों को पूरा सहयोग दिया।

सत्र के दौरान दुर्भाग्यवश हमें अपने दो अति महत्वपूर्ण वर्तमान सांसदों श्री राजेश पायलट और श्री पी.आर. कुमारमंगलम को श्रद्धांजलि देनी पड़ी।

इन दो युवा और ओजस्वी नेताओं के आकस्मिक और दुखद निधन से पूरे राष्ट्र को भारी क्षति हुई है संसद के भीतर और बाहर इन दोनों का अभाव खलेगा।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, वर्षाकालीन सत्र समाप्त हो रहा है। इस सत्र की उपलब्धियों पर हम संतोष प्रकट कर सकते हैं। कानूनी कार्यवाही में संसद पिछड़

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

जाती है। अन्य विषय चर्चा के लिए यहां आते हैं, वे समय ज्यादा ले जाते हैं। इस तरह की शिकायतें हुआ करती थीं। अब ऐसी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह ठीक है कि लैजिस्लेटिव बिजनैस पूरा करने के लिए, शाम को लोक सभा के समय के बाद भी, सदन की बैठक होती रही। सदस्यों का सहयोग मिला और वह काम भी पूरा हुआ है। हम कानून बनाने का काम सफलता से कर रहे हैं। इसमें दो संविधान संशोधन विधेयक भी शामिल हैं।

महोदय, आज जैसा सदन का गठन है, उसमें यह आशंका होनी स्वाभाविक थी कि किसी विधेयक के पक्ष में दो-तिहाई बहुमत कैसे जुटाया जाएगा, उसके लिए क्या अधिक प्रयत्न करने पड़ेंगे, लेकिन सदन के सभी पक्षों के सहयोग से और विशेष कर मुख्य प्रतिपक्ष के सहयोग से बहुमत से अधिक, सचमुच में सर्वसम्मति से दोनों संविधान संशोधन विधेयक पास हुए हैं। इस तरह का वातावरण सदन में बना रहे, यह बहुत जरूरी है। साथ-साथ हम अपनी समस्याओं पर विचार करें, उन्हें हल करें और मतभेदों का प्रकटीकरण भी अधिक संयमित ढंग से होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।

महोदय, आज इस सत्र के अंतिम दिन, मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा, और मैं प्रतिपक्ष में था, तब भी यह बात कहता था कि प्रश्न-काल को, प्रश्न-काल के रूप में ही चलने देना चाहिए। प्रश्न-काल में किसी तरह का व्याघात उत्पन्न किया जाए, यह ठीक नहीं है। अगर किसी बात पर उत्तेजना है, तो प्रश्न-काल के बाद हम उन मामलों को उठा सकते हैं और बड़ी गंभीरता के साथ और प्रखरता के साथ उठा सकते हैं, लेकिन प्रश्न-काल की थोड़ी सी गरिमा बनी रहनी चाहिए। मै चाहूंगा कि सभी दलों के सभी सदस्य इस पर विचार करें। पहले एक बार, पुरानी लोक सभा में फैसला हुआ था कि प्रश्न-काल को छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वह बात छोड़ दी गई और प्रश्न-काल संकट में आता रहा। आज तो आपने बड़ी कुशलता से प्रश्नकाल में जो व्यघात हो रहा था, उसको बहुत छोटा कर दिया। ऐसी कुशलता आपने अध्यक्ष महोदय कई बार दिखाई है। थोड़ी सी कुशलता हमारे संसद-सदस्य भी दिखाएं, नई पद्धति और नई परिपाटी लागू करें।

महोदय, जैसा आपने कहा, हम अपने दो सदस्यों को इस सत्र में, जो आज समाप्त हो रहा है, खो चुके हैं। श्री राजेश पायलट और श्री पी. रंगराजन कुमारमंगलम। दोनों अभी सफलता की सीढ़ी पर दृढ़ता के साथ चढ़ रहे थे। उनका भविष्य उज्ज्वल था। अब वे हमारी श्रद्धांजलि के विषय हो गए हैं। उनके अभाव को झेलते हुए हम अपना काम कर रहे हैं। सारे देश में इस बात का असर पड़ा है कि संसद भले ही कितने मतभेदों में बंटी हुई हो, लेकिन संकट के समय, शोक के समय और दूसरे बाहरी आरक्षा के भाव में इकट्ठी हो जाती है, सारा देश खड़ा हो जाता है।

महोदय, आपके नेतृत्व को बहुत-बहुत बधाई और इसी तरह से हम संसद का पूरा सत्र और पूरी टर्म पूरी करेंगे, इसकी मुझे पूरी आशा दिखाई देती है।

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस सभा के चौथे सत्र के अंतिम चरण में पहुंच गये हैं। इस एक महीने में, कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की गई, बहस हुई और बहुत सारा कार्य सम्पन्न हुआ। महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि, आपने इस सभा का संचालन अत्यन्त निपुणता से किया।

सबसे उल्लेखनीय बात यह हुई, कि तीन नये राज्यों उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्थापना हुई। माननीय, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मैं अपनी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से तीन नये राज्यों के सभी लोगों और उनकी भावी सरकारों को शुभकामनायें देती हूँ।

इस सभा की सहमति से कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी ने सकारात्मक भूमिका निभाई क्योंकि उसका विश्वास है कि इन विधेयकों का आशय रचनात्मक था और यह लोगों के हित में थे।

हालांकि, कई मामलों में, हम सरकार की प्रतिक्रिया से पूर्णत: संतुष्ट नहीं थे। जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों की हत्या और इसी प्रकार की अन्य घटनाओं से संपूर्ण देश सकते में आ गया। हमारे न्यायिक जांच की मांग पर जो गृह मंत्री ने जवाब दिया उससे हम संतुष्ट नहीं थे। हमारे ख्याल से, इससे असुरक्षा की भावना और प्रतिरक्षात्मक रवैया सामने आया। हम एक उत्तरदायित्वपूर्ण राजनैतिक पार्टी, उत्तरदायित्वपूर्ण विरोधी पक्ष होने के नाते, हमने सरकार के कश्मीर में इस गड़बड़ी वालें राज्य में शांति लाने के प्रयास के लिए शुरू की गई बातचीत का समर्थन किया था। परंतु जिस अव्यवस्थितपूर्ण तरीके से यह संवेदनशील और महत्वपूर्ण कार्य किया गया उससे हम चिंतित हैं। कोई स्पष्ट नीति, कोई व्यवस्थित सोची-समझी रणनीति दिखाई नहीं दे रही है। जम्मू और कश्मीर में शांति के लिए की गई पहल का पूर्ण समर्थन करने के साथ ही, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि और अधिक सहयोगात्मक और प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य करें।

हम पाकिस्तान की उकसाने वाली भूमिका, सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने की और हिंसक गतिविधियों द्वारा जम्मू-कश्मीर में चल रही शांति प्रक्रिया को क्षति पहुंचाने की जोरदार निंदा करते हैं।